भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2641

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से एकत्र राजस्व"

2641. **श्री अब्दुल वहाबः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी), संघ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा विभिन्न उपकरों सहित अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से एकत्र राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अप्रत्यक्ष कराधान के वितरणात्मक प्रभाव का आकलन किया है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों को भी वस्तुओं की खरीद एवं सेवाओं का उपयोग करते समय संपन्न उपभोक्ताओं के समान अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है;
(ग) क्या सरकार इसे न्यायसंगत मानती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष करों के असमानुपातिक भार की भरपाई के लिए लक्षित कर क्रेडिट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अथवा अन्य किसी प्रतिपूरक उपायों सहित कोई तंत्र लागू करने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
उत्तर

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर संग्रह का वर्ष-वार और प्रमुख-शीर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

निवल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर

राशि करोड़ रुपये में

क्रम संख्या	**प्रमुख शीर्ष**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (पी)**
1	**सीमाशुल्क**	1,99,728	2,13,372	2,33,119	2,33,201	2,64,394
2	**केंद्रीय उत्पाद शुल्क**	3,90,808	3,19,000	3,05,362	3,00,253	3,41,851
3	**सेवा कर**	1,012	431	425	-16	-1,774
4	**स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर#**	लागू नहीं				2,061
5	**उप-योग (गैर-जीएसटी) (1+2+3+4)**	**5,91,548**	**5,32,803**	**5,38,906**	**5,33,439**	**6,06,531**
6	**जीएसटी [सीजीएसटी + आईजीएसटी (अवशिष्ट) + प्रतिपूर्ति उपकर]**	**6,98,114**	**8,49,132**	**9,57,208**	**10,27,041**	**10,65,335**
7	**अप्रत्यक्ष कर कुल [जीएसटी + गैर-जीएसटी] [निवल](5+6)**	**12,89,662**	**13,81,935**	**14,96,114**	**15,60,480**	**16,71,867**

स्रोत: प्राप्ति बजट, प्रधान सीसीए (सीबीआईसी); (पी) अनंतिम, उपर्युक्त संग्रहण सीजीएसटी और आईजीएसटी के मामले में भी रिफंड/ड्रॉबैक और सेटलमेंट का निवल है।
वित्त वर्ष 2025-26 में एचएसएनएस (स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा) उपकर लागू किया गया है।

(ख), (ग) और (घ): वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। जीएसटी दरों या छूट में कोई भी परिवर्तन जीएसटी परिषद जो केंद्र/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परिषद ऐसे दरों/छूटों की सिफारिश करते समय आम आदमी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और अन्य आर्थिक मानदंडों सहित विभिन्न कारकों पर विचार करती है।

जीएसटी दरें आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जो परिवारों की खपत का मुख्य हिस्सा होती हैं, पर कम होती हैं, जबकि आकांक्षात्मक /लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं को उच्च जीएसटी दरों के दायरे में रखा गया है।

हाल ही में, दिनांक 03.09.2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कर के बोझ को कम करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें 350 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है।

साथ ही, 'शून्य' दर वाली वस्तुओं की सूची का विस्तार करके उसमें आवश्यक खाद्य सामग्री, अभ्यास पुस्तिकाओं/नोटबुक आदि, और 36 जीवन रक्षक दवाओं को शामिल किया गया है। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से पूर्ण छूट की सिफारिश की गई है।

कुछ विलासिता और हानिकारक (सिन गुड) वस्तुओं/सेवाओं पर 40% की विशेष डिमेरिट दर लागू होती है, जिनमें लग्ज़री कारें, 350सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, यॉट, व्यक्तिगत उपयोग वाले विमान, पान मसाला, कैसीनो/रेस क्लब में प्रवेश, आदि शामिल हैं।

ये कदम आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर का बोझ कम करने और विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं/सेवाओं पर उच्च दर लगाने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।
